राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

पत्रांक एफ 1(3) आ.प्र.स. एव ंना.सु./पशु शिविर/2024/ 3911-3938 जयपुर, दिनांक 28/5/24

जिला कलक्टर (आ.प्र.एवं सहायता)
अजमेर, ब्यावर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, चूरू,
डूंगरपुर, दूदू, जैसलमेर, जोधपुर, जोधपुर (ग्रामीण),
फलौदी एवं नागौर राजस्थान।

विषयः– खरीफ सम्वत 2080 में सूखाग्रस्त ग्रामों में चारा डिपो संचालन बाबत दिशा–निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ1(5)आ.प्र.सहा./सामान्य/2023/5576 दिनांक 21.11.2023/17.05.2024 से अजमेर, ब्यावर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानर, चूरू, डूंगरपुर, दूदू, जैसलमेर, जोधपुर,जोधपुर (ग्रामीण), फलौदी एवं नागौर जिलें के ग्रामों को गम्भीर एवं मध्यम सूखाग्रस्त (Severe and Moderate Category drought affected) घोषित किया गया है। सूखा संहिता 2016 के प्रावाधानों के अनुसार उक्त अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 6 माह (दिनांक 18.05.2024) तक प्रभावी थी, जो राज्य में सूखे की गंभीर स्थिति के मध्यनजर उक्त अवधी को दिनांक 31.07.2024 तक बढ़ाई गई है। अभाव सम्वत् 2080 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर 13 जिलों के अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों मे पशु शिविर संचालन करने हेतु भारत सरकार के पत्रांक 33–03/2020–एनडीएम–I दिनांक 23.07.2023 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के संशोधित मानदण्डों के अनुसार दिशा–निर्देश जारी किए जा रहे है।

राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मानदण्डों के अनुसार पशु शिविर से बाहर के पशुओं के लिए चारा परिवहन अनुदान अभाव सम्वत् 2080 में सूखा से अभावग्रस्त क्षेंत्रों में लघु एवं सीमान्त कृषकों को अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनुमोदित चारा डिपो की स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जिला कलक्टर को अधिकृत किया जाता है।

इस सम्बन्ध में निम्न दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेः–

1. चारा डिपो स्वीकृति आदेश स्वीकृत किये जाने की दिनांक से अभाव अवधि तक प्रभावी होगा।
2. यह परिलाभ केवल लघु एवं सीमान्त कृषकों को दिया जायेगा।
3. पशुओं की संख्या का आंकलन पशु गणना पर आधारित तथा उससे संगत (Consistent) होने चाहिए।
4. जिला कलक्टर विभागीय दिशा–निर्देश जारी होने के पश्चात् अभाव अवधि तक एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार चारा डिपो खोले जाने के पश्चात ग्राम पंचायतों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से प्राप्त प्रस्तावों की ऑनलाइन स्वीकृति जारी करेगें। ऑफ लाईन प्राप्त प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही नही की जावेगी।
5. इस प्रक्रिया के तहत चारा डिपो खोले जाने वाली एजेन्सी यथा ग्राम पंचायत ग्राम सेवा सहकारी समितियां, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति द्वारा चारा डिपो खोले जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए WWW.SSO.rajasthan.in पर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात विभागीय एप्लीकेशन DMIS के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। विभागीय एप्लीकेशन पर

ऑनलाईन आवेदन दिशा निर्देश जारी होने की दिनांक से प्रारम्भ किया जावेगा। चारा डिपो हेतु आवेदन करते समय ग्राम सेवा सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के पंजीयन प्रमाणपत्र पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना आवश्यक है।

6. चारा डिपो खोले जाने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला कलक्टर सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर चारा डिपो की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेगें।
7. जिला कलक्टरों द्वारा चारा डिपो स्वीकृति से पूर्व सर्वे टीम भेजी जाकर चारे की उपलब्धता के स्थानों एवं क्रय दरों का आंकलन किया जायेगा तथा चारे की मांग के अनुसार जिला कलक्टर राज्य में से और राज्य के बाहर से चारे की आपूर्ति और चारा परिवहन के लिए टेण्डर मांग सकता है।
8. चारा डिपो पर केवल **लघु एवं सीमान्त कृषकों** को उनके द्वारा संधारित पशुओं के अनुपात में चारा उपलब्ध कराया जायेगा।
9. चारा डिपो संचालित करने वाली संस्था को चारा परिवहन अनुदान लघु एवं सीमान्त कृषकों को वितरित किए जाने वाले चारे पर ही उपलब्ध होगा।
10. 50 कि.मी. से अधिक की दूरी से किये गये चारा परिवहन पर ही अनुदान देय होगा।
11. परिवहन कर लाये गये चारे का वास्तविक किराया और निर्धारित दरों में से जो भी कम हो, उस राशि का ही चारा परिवहन अनुदान देय होगा।
12. अभावग्रस्त जिलों में से चारा आयात नहीं किया जावेगा।
13. चारा डिपो पर बेचे जाने वाले चारे की दर का निर्धारण जिला कलक्टर द्वारा करवाया जावेगा।
14. जिला कलक्टर द्वारा चारा परिवहन सब्सिडी हेतु विस्तृत हेतु विस्तृत आंकलन कर इन दिशानिर्देशों के जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर चारा परिवहन की दरों का निर्धारण के प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किए जावेंगे।
15. जिन लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा पशुओं को पशुशिविर में छोड़ दिया गया है उन्हें चारा अनुदान देय नही होगा।

इसके अतिरिक्त निम्न दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाऐं:–

1. **<u>चारा डिपो संचालन संस्थाऐं:–</u>**
   जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायतों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को चारा डिपों संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाए।
2. **<u>चारे का क्रय:–</u>**
   संस्था द्वारा डिपो पर चारा, राजस्थान के गैर अभावग्रस्त जिलों अथवा पडौसी राज्यों से क्रय कर वितरित किया जाए। चारे का वितरण पशु पालक को बिना लाभ–हानि के आधार पर किया जाए।
3. **<u>चारा परिवहन अनुदान की दरे:–</u>**
   इस विभाग के पत्र क्रमांक 4581–4613 दिनांक 21.06.2019 द्वारा निर्धारित दर अथवा परिवहन की वास्तविक लागत तक जो भी कम हो के अनुसार लागू होगी। तदनुसार ही डिपो पर लाये जाने वाले चारे पर परिवहन अनुदान का भुगतान संस्थाओं को किया जाए।
4. **<u>चारा विक्रय दर का निर्धारण:–</u>**
   जिला कलेक्टर द्वारा गठित सरपंच, राजस्व निरीक्षण एवं पटवारी की समिति क्रय मूल्य के दस्तावेज देखकर परिवहन अनुदान की राशि घटाकर एवं 10 (दस) रूपये प्रति क्वि. Handling Charges में जोड़कर चारे की दर निर्धारण करेगी।

5. **चारा वितरण में छीजतः–**
चारा विक्रय मूल्य के अतिरिक्त किसी प्रकार की चारे की छीजत, तुलाई अथवा आनुषंगिक व्यय देय नही है।

6. **ब्याज मुक्त ऋणः–**
जिला कलेक्टर द्वारा डिपो का संचालन करने वाली संस्था का निरीक्षण तथा पूर्ण सत्यापन व संतुष्टि के पश्चात चारा डिपो स्वीकृति के साथ ही 1,00,000/– रूपये प्रति चारा डिपो के हिसाब से अग्रिम (कार्यशील पूंजी) के रूप में ब्याज मुक्त ऋण संस्था को उपलब्ध करावें व इस राशि की मांग अविलम्ब विभाग को प्रेषित करावें।

7. **चारा डिपो का स्वीकृति/सत्यापनः–**
(i) चारा वितरण के लिए चारा डिपो की स्वीकृति जिला कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाए, ऐसा अधिकारी अति. कलेक्टर के स्तर से कम नही हो।
(ii) चारे के वितरण की तस्दीक पटवारी अथवा सरंपच/उपसरपंच अथवा ग्राम सेवक से कराई जाए।
(iii) क्रय किये गये चारे के सम्बन्ध में धर्मकांटा तोल की रसीदों का प्रमाणीकरण तथा परिवहन के संबंध में कार्य में लिये गये वाहनों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्न प्रपत्र में तैयार करवाकर रिकार्ड में रखा जावे।

8. **चारा डिपो का निरीक्षणः–**
(अ) जिला कलेक्टर यह भी सुनिश्चित करें कि चारा डिपो से विक्रय किये जाने वाले चारे का प्रमाणीकरण समय–समय पर डिपो पर उपलब्ध आवश्यक रिकार्ड से कराते रहे तथा क्षेत्र में चारे की वर्तमान एवं रबी की आवक के आधार पर उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।
(ब) चारा डिपो संचालित किये जाने वाले स्थलों का जिले में पदस्थापित विभिन्न अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाए। प्रतिमाह निरीक्षण के लिए न्यूनतम मापदण्ड निम्न प्रकार से निर्धारित हैः–

क.स.	नाम अधिकारी	प्रतिमाह निरीक्षण किये जाने वाले चारा डिपो	कार्यक्षेत्र
1	तहसीलदार/विकास अधिकारी	25%	तहसील/पं.समिति
2	उपखण्ड अधिकारी	10%	उपखण्ड
3	अति.जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी(सम्मिलित रूप से)	6%	जिला
4	जिला कलेक्टर	यथासम्भव अधिकाधिक	जिला

उपरोक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

(भगवत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति. मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री,राज0 जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,राज0जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय,राज0 जयपुर।

4. उप शासन सचिव, अति. मुख्य सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,राज0 जयपुर।

5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग,राज0 जयपुर।
6. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जयपुर एवं जोधपुर।
7. निजी सचिव, जिला प्रभारी सचिव, अजमेर, ब्यावर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, बालोतरा, चूरू, डूंगरपुर, दूदू, जैसलमेर, जोधपुर, जोधपुर (ग्रामीण), फलौदी ।
8. निदेशक, गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र.सहा. एव ंना.सु.विभाग,राज0 जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, आरआईएससल, जयपुर।
11. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,राज0 जयपुर।
12. प्रोग्रामर, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,राज0 जयपुर।
13. प्रोग्रामर, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग को प्रेषित कर लेख है कि समय–समय पर विभागीय एप्लीकेशन डीएमआईएस पोर्टल पर अभावग्रस्त जिलों द्वारा खोले गये पशु संरक्षण गतिविधियां यथा पशुशिविर/चारा डिपों की प्रभावी मॉनिटंरिग सुनिश्चित करें।
14. गार्ड फाईल।

संयुक्त शासन सचिव

चारा परिवहन प्रमाण–पत्र

यह प्रामणित किया जाता है कि ट्रक/ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन नम्बर.....चालक श्री.....दिनांक.....से दिनांक.....तक ग्राम.....पंचायत..... .....जिला.....में.....क्विंटल चारा.....(स्थान का नाम) से क्रय किया जाकर.....(गंतव्य स्थान का नाम) तक.....किलोमीटर परिवहन किया गया।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव	पटवारी	सरपंच	पशुपालन/कृषि स्थानीय कर्मचारी पदस्थापित होने पर